



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224794
CG-DL-E-30012021-224794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]
No. 372]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 404(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं प्रांत अधिकारी पालनपुर, बाड़मेर-

पालनपुर पाईपलाइन परियोजना, 3rd फ्लोर, कॉम्प्लेक्स-ए, गोपाल आर्केड, सर्किट हाउस के पीछे, सरदार पटेल सोसाइटी, पालनपुर, जिला-बनासकांठा-385001 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची
तालुका –धानेरा **जिला-बनासकांठा** **राज्य-गुजरात**

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मांडल	208	0	0	83
		207	0	4	52
		कुल	0	5	35
2	रामपुरा (वाधपुरा)	82	0	0	50
		81	0	0	56
		69	0	0	50
		कुल	0	1	56
3	नेगाणा	61	0	2	86
		57	0	0	50
		55	0	0	50
		53	0	0	96
		48	0	2	74
		47	0	14	95
		350	0	12	58
		कुल	0	35	09
4	आलवाडा	1033	0	1	37
		1027	0	1	95
		1026	0	3	27
		1011	0	21	20
		1013	0	11	77
		कुल	0	39	56

[फा. सं. आर-11025(15)/3/2020-ओ॰आर-I/ई-33838]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 404(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority & Prant Officer-Palanpur, Barmer Palanpur Pipeline Project, 3rd Floor, Complex-A, Gopal Arcade, Behind Circuit House, Sardar Patel Society, Palanpur, Dist.- Banaskantha -385 001 (Gujarat).

SCHEDULE**TALUKA- DHANERA****DISTRICT- BANASKANTHA****STATE- GUJARAT**

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MANDAL	208	0	0	83
		207	0	4	52
		Total	0	5	35
2	RAMPURA (VADHPURA)	82	0	0	50
		81	0	0	56
		69	0	0	50
		Total	0	1	56
3	NEGALA	61	0	2	86
		57	0	0	50
		55	0	0	50
		53	0	0	96
		48	0	2	74
		47	0	14	95
		350	0	12	58
		Total	0	35	09
4	AALWADA	1033	0	1	37
		1027	0	1	95
		1026	0	3	27

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
		1011	0	21	20
		1013	0	11	77
		Total	0	39	56

[F. No. R-11025(15)/3/2020-OR-I/E-33838]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 405(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं प्रांत अधिकारी पालनपुर, बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना, 3rd फ्लोर, कॉम्प्लेक्स-ए, गोपाल आर्केड, सर्किट हाउस के पीछे, सरदार पटेल सोसाइटी, पालनपुर, जिला-बनासकांठा-385001 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका - डीसा

जिला - बनासकांठा

राज्य - गुजरात

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	विठोदर	992	0	14	37
		993	0	13	65
		994	0	20	14
		1299	0	51	79
		1102	0	16	87
		1103	0	17	33
		1104	0	14	53
		1105	0	2	57
		1095	0	15	94

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	विठोदर (जारी....)	1311	0	5	42
		1033	0	6	07
		1034	0	6	13
		1035	0	8	86
		1036	0	0	50
		1032	0	18	36
		1037	0	5	30
		1026	0	5	78
		1025	0	11	45
		1039	0	7	60
		1040	0	2	00
		1041	0	14	21
		1042	0	17	64
		1043	0	8	69
		1044	0	14	05
		1046	0	3	91
		1045	0	13	07
		76	0	28	49
		77	0	37	75
		80	0	3	84
		कुल	3	86	31
2	भड़थ	697	0	1	80
		591	0	17	48
		590	0	7	52
		581	0	2	96
		कुल	0	29	76
3	रानपुर आथमणोवास	1404	0	79	42
		1356	0	15	10
		1355	0	13	40
		1354	0	17	27
		1333	0	14	43
		1334	0	2	47
		1332	0	0	50

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रानपुर आथमणोवास (जारी....)	1335	0	11	72
		1399	0	1	14
		1330	0	11	51
		1328	0	12	71
		1309	0	20	63
		1310	0	0	50
		1308	0	4	88
		1305	0	11	41
		1416	0	1	69
		1302	0	1	66
		1303	0	9	70
		1160	0	6	20
		1229	0	3	85
		1164	0	8	61
		1228	0	9	15
		1166	0	6	71
		1167	0	4	51
		1168	0	20	50
		1137	0	26	89
		1136	0	1	51
		1139	0	6	33
		1142	0	16	92
		1033	0	13	21
		1032	0	8	73
		1405	0	3	64
		1007	0	16	79
		1008	0	5	91
		1415	0	3	84
		1004	0	22	54
		1003	0	0	50
		888	0	19	02
		889	0	11	13
		846	0	7	13

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रानपुर आथमणोवास (जारी....)	845	0	24	45
		736	0	0	60
		844	0	04	03
		737	0	15	39
		738	0	4	64
		741	0	4	77
		680	0	0	71
		679	0	6	46
		748	0	31	25
		675	0	3	67
		749	0	0	97
		674	0	16	24
		671	0	3	74
		672	0	6	92
		670	0	9	88
		615	0	0	50
		623	0	15	66
		624	0	3	25
		575	0	10	46
		576	0	7	72
		577	0	2	88
		512	0	13	53
		511	0	13	75
		428	0	16	24
		425	0	2	99
		427	0	9	76
		383	0	12	18
		385	0	12	79
		297	0	0	75
		387	0	0	89
		296	0	10	83
		295	0	9	33
		259	0	13	57

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रानपुर आथमणोवास (जारी....)	258	0	11	78
		261	0	6	18
		262	0	16	81
		1407	0	1	37
		125	0	10	99
		124	0	10	34
		102	0	2	17
		103	0	20	49
		कुल	8	24	69
4	राणपुर वचलोवास	205	0	0	50
		210	0	10	93
		220	0	1	18
		कुल	0	12	61
5	राणपुर उगमणोवास	527	0	6	52
		520	0	17	63
		525	0	0	68
		1006	0	0	57
		कुल	0	25	40

[फा. सं. आर-11025(15)/3/2020-ओ.आर.-I/ई-33838]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 405(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority & Prant Officer-Palanpur, Barmer Palanpur Pipeline Project, 3rd Floor, Complex-A, Gopal Arcade, Behind Circuit House, Sardar Patel Society, Palanpur, Dist.- Banaskantha -385 001 (Gujarat).

SCHEDULE

TALUKA- DEESA

DISTRICT-BANASKANTHA

STATE- GUJARAT

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	VITHODAR	992	0	14	37
		993	0	13	65
		994	0	20	14
		1299	0	51	79
		1102	0	16	87
		1103	0	17	33
		1104	0	14	53
		1105	0	2	57
		1095	0	15	94
		1311	0	5	42
		1033	0	6	07
		1034	0	6	13
		1035	0	8	86
		1036	0	0	50
		1032	0	18	36
		1037	0	5	30
		1026	0	5	78
		1025	0	11	45
		1039	0	7	60
		1040	0	2	00
		1041	0	14	21
		1042	0	17	64
		1043	0	8	69
		1044	0	14	05
		1046	0	3	91
		1045	0	13	07
		76	0	28	49
		77	0	37	75
		80	0	3	84
		Total	3	86	31
2	BHADATH	697	0	1	80
		591	0	17	48
		590	0	7	52
		581	0	2	96
		Total	0	29	76
3	RANPUR ATHMNOVAS	1404	0	79	42
		1356	0	15	10
		1355	0	13	40
		1354	0	17	27
		1333	0	14	43
		1334	0	2	47
		1332	0	0	50
		1335	0	11	72
		1399	0	1	14
		1330	0	11	51
		1328	0	12	71
		1309	0	20	63
		1310	0	0	50
		1308	0	4	88
		1305	0	11	41
		1416	0	1	69

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	RANPUR ATHMNOVAS (Contd....)	1302	0	1	66
		1303	0	9	70
		1160	0	6	20
		1229	0	3	85
		1164	0	8	61
		1228	0	9	15
		1166	0	6	71
		1167	0	4	51
		1168	0	20	50
		1137	0	26	89
		1136	0	1	51
		1139	0	6	33
		1142	0	16	92
		1033	0	13	21
		1032	0	8	73
		1405	0	3	64
		1007	0	16	79
		1008	0	5	91
		1415	0	3	84
		1004	0	22	54
		1003	0	0	50
		888	0	19	02
		889	0	11	13
		846	0	7	13
		845	0	24	45
		736	0	0	60
		844	0	04	03
		737	0	15	39
		738	0	4	64
		741	0	4	77
		680	0	0	71
		679	0	6	46
		748	0	31	25
		675	0	3	67
		749	0	0	97
		674	0	16	24
		671	0	3	74
		672	0	6	92
		670	0	9	88
		615	0	0	50
		623	0	15	66
		624	0	3	25
		575	0	10	46
		576	0	7	72
		577	0	2	88
		512	0	13	53
		511	0	13	75
		428	0	16	24
		425	0	2	99
		427	0	9	76
		383	0	12	18
		385	0	12	79
		297	0	0	75
		387	0	0	89

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	RANPUR ATHMNOVAS (Contd....)	296	0	10	83
		295	0	9	33
		259	0	13	57
		258	0	11	78
		261	0	6	18
		262	0	16	81
		1407	0	1	37
		125	0	10	99
		124	0	10	34
		102	0	2	17
		103	0	20	49
		Total	8	24	69
4	RANPUR VACHLOVAS	205	0	0	50
		210	0	10	93
		220	0	1	18
		Total	0	12	61
5	RANUPUR UGAMNOVAS	527	0	6	52
		520	0	17	63
		525	0	0	68
		1006	0	0	57
		Total	0	25	40

[F. No. R-11025(15)/3/2020-OR-I/E-33838]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2021

का.आ. 406(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक (बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन) तैयार पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपावद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं प्रांत अधिकारी पालनपुर, बाड़मेर-पालनपुर पाईपलाइन परियोजना, 3rd फ्लोर, कॉम्प्लेक्स-ए, गोपाल आर्केड, सर्किट हाउस के पीछे, सरदार पटेल सोसाइटी, पालनपुर, जिला-बनासकांठा-385001 (गुजरात) को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका –पालनपुर

जिला- बनासकांठा

राज्य-गुजरात

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे सं./गाटा सं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोटडा (भाखर)	190	00	03	42
		172	00	13	94
		203	00	00	50
		57	00	01	97
		49	00	03	70
		48	00	04	03
		47	00	01	14
		59	00	12	68
		45	00	01	89
		कुल	00	43	27
2	चंडीसर	1237	00	13	05
		1226	00	12	12
		1227	00	24	80
		1708	00	02	70
		1243	00	11	06
		1245	00	24	16
		1247	00	08	23
		1248	00	03	64
		1277	00	05	68
		कुल	01	05	44

[फा. सं. आर-11025(15)/3/2020-ओ॰आर-I/ई-33838]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2021

S.O. 406(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of the finished Petroleum Product (Barmer Palanpur Pipeline) from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), a Pipeline should be laid by the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority & Prant Officer-Palanpur, Barmer Palanpur Pipeline Project, 3rd Floor, Complex-A, Gopal Arcade, Behind Circuit House, Sardar Patel Society, Palanpur, Dist.- Banaskantha -385 001 (Gujarat).

SCHEDULE

TALUKA- PALANPUR

DISTRICT-BANASKANTHA

STATE- GUJARAT

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. M.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KOTDA (BHAKHAR)	190	00	03	42
		172	00	13	94
		203	00	00	50
		57	00	01	97
		49	00	03	70
		48	00	04	03
		47	00	01	14
		59	00	12	68
		45	00	01	89
		Total	00	43	27
2	CHANDISAR	1237	00	13	05
		1226	00	12	12
		1227	00	24	80
		1708	00	02	70
		1243	00	11	06
		1245	00	24	16
		1247	00	08	23
		1248	00	03	64
		1277	00	05	68
		Total	01	05	44

[F. No. R-11025(15)/3/2020-OR-I/E-33838]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.